

भारत सरकार  
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय  
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 889

दिनांक 29 नवम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

चाइल्ड हेल्पलाइन

889. डॉ. थोल तिरुमावलवन:

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष चाइल्ड हेल्पलाइन नम्बर 1098 पर कितनी कॉल प्राप्त हुई हैं;
- (ख) उक्त हेल्पलाइन के माध्यम से प्रतिवर्ष सहायता और सहयोग प्रदान किए गए बच्चों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार के पास उक्त हेल्पलाइन के माध्यम से प्रदान की गई सहायता का कोई रिकॉर्ड है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री  
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ) : पिछले तीन वर्षों के दौरान चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर प्रत्येक वर्ष प्राप्त कॉलों की संख्या निम्नानुसार है:

क्रम सं	वित्त वर्ष	प्राप्त कॉलों की संख्या
1	2021-22	54,55,892
2	2022-23	59,96,388
3	2023-24	35,34,452

चाइल्डलाइन सेवाओं को किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2(25) के तहत संकट में फंसे बच्चों के लिए चौबीस घंटे की आपातकालीन

आउटरीच सेवा के रूप में परिभाषित किया गया है जो उन्हें आपातकालीन या दीर्घकालिक देखरेख एवं पुनर्वास सेवा प्रदान करती है। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 का संचालन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा जिला कर्मियों के समन्वय से किया जाता है, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर जिला बाल संरक्षण इकाइयों (डीसीपीयू) की अध्यक्षता करते हैं एवं चाइल्ड हेल्पलाइन सेवाओं को गृह मंत्रालय की आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली-112 (ईआरएसएस-112) हेल्पलाइन के साथ एकीकृत किया गया है। 1098 को जिला स्तर पर डीसीपीयू के साथ भी एकीकृत किया गया है जो जिला स्तरीय इकाइयां हैं और जिन्हें देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों तथा कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को अपेक्षित सहायता और समर्थन प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया है। वे बाल सहायता इकाई के दैनिक कार्यों की देखरेख और निगरानी करते हैं, संबद्ध विशेष किशोर पुलिस इकाई, रेलवे के साथ बचाव दलों का समन्वय करते हैं तथा बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष बच्चों की पेशगी को सुनिश्चित करने के लिए भी समन्वय करते हैं।

\*\*\*\*\*